

आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021¹

[5.12.2024 तक अद्यतीकरण किया गया]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम 2019 (2019 की संख्या 14) की उप धारा 54 धारा (1) की उप धारा (2) के उप खंड (क) (खक) (गक) (गख) (च) (चक) (चख) एवं (ब) और उप खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के अधिक्रमण में, उक्त अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,-

(क) “**अधिनियम**” से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 से है;

(कक) ‘**आधार नंबर**’ से अभिप्राय आधार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या से है, और इसमें उस धारा की उप-धारा (4) के अधीन सृजित कोई वैकल्पिक वर्चुअल पहचान भी शामिल है,

²[(कख) “**आधार पत्र**” का अभिप्राय किसी निवासी के आधार नंबर को संसूचित करने वाले दस्तावेज़ से है;]

(ख) “**आधार नंबर धारक**” का अभिप्राय कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अंतर्गत आधार नंबर जारी किया गया है, से है;

(खक) ‘**आधार नंबर कैप्चर सर्विस टोकन या एएनसीएस टोकन**’ से तात्पर्य अधिप्रमाणन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आधार नंबर के लिए दी गई कूटबद्ध संख्या से है। एएनसीएस टोकन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित अल्प अवधि के लिए वैध होगा।

¹भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 542 दिनांक 9.11.2021 में अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2021 का संख्या 2), दिनांक 8.11.2021 द्वारा प्रकाशित और बाद में संशोधन अधिसूचनाओं संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022, संख्या एच क्यू-13011/2/2021/अधि.-II (2023 का संख्या 1), दिनांक 24.2.2023 (प्रभावी दिनांक 27.2.2023 से), संख्या एच क्यू-13073/1/2020-अधि.-II (ई), दिनांक 29.9.2023 (दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी), अधिसूचना संख्या एच क्यू-13073/1/2020-एयूटीएच -II (ई), दिनांक 31.1.2024 और अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) द्वारा संशोधित।

²अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022 द्वारा प्रविष्ट।

(खख) 'आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी' से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज से है, जिसमें आधार नंबर के अंतिम चार अंक, जनसांख्यिकीय संबंधी सूचना जैसे नाम, पता, लिंग और जन्म तिथि तथा आधार नंबर धारक की फोटो आदि अंतर्निहित है।

(खग) 'आधार सुरक्षित क्यूआर कोड' से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा सृजित त्वरित प्रतिक्रिया कोड से है, जिसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डेटा जैसे आधार नंबर के अंतिम चार अंक, जनसांख्यिकीय संबंधी सूचना जैसे नाम, पता, लिंग तथा जन्म तिथि और आधार नंबर धारक की फोटो आदि अंतर्निहित है।

³[(खघ) "आधार पीवीसी कार्ड" का अभिप्राय एक पोलीविनाइल क्लोराइड कार्ड (पीवीसी) से है, जो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आधार नंबर, जनसांख्यिकीय जानकारी और आधार नंबर धारक की फोटो के साथ आधार सुरक्षित क्यूआर कोड मुद्रित होता है और जो कागज-आधारित आधार पत्र के समतुल्य है;]

(ग) "अधिप्रमाणन" का अभिप्राय, ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमेट्रिक सूचना आधार नंबर सहित उसके सत्यापन के लिए 'केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी के पास जमा की जाती है और ऐसा रिपोजिटरी उसकी यथार्थता अथवा कमी को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सत्यापित करता है;

(घ) 'अधिप्रमाणन सुविधा' का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त ऐसी सुविधा से है, जिसके अंतर्गत, हां/ना प्रतिक्रिया या ई-केवाईसी डेटा, यथा लागू को उपलब्ध कराने के द्वारा अधिप्रमाणन प्रक्रिया के जरिए किसी आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ आधार नंबर का अधिप्रमाणन किया जाता है।

(च) "अधिप्रमाणन अभिलेख" का अभिप्राय अधिप्रमाणन के समय तथा अनुरोधकर्ता संस्था की पहचान एवं उससे सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रत्युत्तर के अभिलेख से है;

(छ) "अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी" अथवा "एएसए" का अभिप्राय, ऐसी लाइसेंस प्राप्त संस्था से होगा, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए अधिप्रमाणन के निष्पादन के संबंध में अनुरोधकर्ता संस्था को समर्थ बनाने के लिए सुरक्षित नेटवर्क संयोजन एवं सम्बद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करा रही है;

(ज) "अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी" अथवा "एयूए" का अभिप्राय उस अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी हां/ना अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है;

(झ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;

(ट) "केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी" अथवा "सीआईडीआर" का अभिप्राय एक या अधिक स्थानों पर केन्द्रीकृत डेटाबेस से है, जिसमें आधार नंबर धारक को जारी आधार नंबर के साथ ऐसे व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय तथा बायोमेट्रिक सूचना और तत्संबंधी अन्य संबद्ध सूचना अंतर्निहित है;

(टक) 'बालक' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

³ अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022 द्वारा प्रविष्ट।

⁴(टख) "डिजिटल हस्ताक्षर" का अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (द) में यथा परिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर से है;

⁵(टग) "ई-आधार" का अभिप्राय पासवर्ड से सुरक्षित आधार पत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रति से है, जो प्राधिकरण द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसे आधिकारिक वेबसाइट या प्राधिकरण के मोबाइल एप्लिकेशन से डाउनलोड किया जा सकता है;

⁶(ठ) "ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा" का अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है—

- (i) जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था के जरिए आधार नंबर धारक की सहमति से सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत बायोमेट्रिक सूचना और/या वन-टाइम पिन (ओटीपी) और आधार नंबर का मिलान सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से किया जाता है, और प्राधिकरण अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी ब्यौरों सहित ई-केवाईसी डेटा से युक्त डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित उत्तर भेजता है; और
- (ii) जिसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुनः सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है इसकी स्थिति के संबंध में भेजा गया कोई भी पश्चात्कर्ती समुचित उत्तर सम्मिलित है :

परंतु यह कि अनुरोधकर्ता संस्था ने ऐसी स्थिति के अद्यतीकरण सहित अधिप्रमाणन करने के लिए प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया है;

(ड) "ई-केवाईसी डेटा" का अभिप्राय किसी आधार नंबर धारक की पूर्ण अथवा सीमित जनसांख्यिकीय सूचना तथा/अथवा फोटोग्राफ से है। ई-केवाईसी डेटा में पूर्ण अथवा मास्क आधार नंबर अंतर्निहित हो सकता है;

(ढ) "ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी" अथवा "केयूए" का अभिप्राय उस अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो एयूए होने के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है;

⁷(ढक) "एमआधार" का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा विकसित आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन से है जो आधार नंबर धारकों को सीआईडीआर के साथ पंजीकृत अपने आधार विवरण को साथ रखने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसांख्यिकीय जानकारी और आधार नंबर धारक कि फोटो के साथ आधार नंबर शामिल है;

(ण) "लाइसेंस कुंजी" से अभिप्राय, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा सृजित कुंजी से है;

(णक) 'ऑफलाइन सत्यापन' का अभिप्राय ऐसे ऑफलाइन विधियों, जैसा विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट हो, के द्वारा अधिप्रमाणन के बिना 'आधार नंबर धारक' की पहचान सत्यापन करने की प्रक्रिया से है।

(णख) 'ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था' का अभिप्राय ऐसी संस्था से है, जो किसी आधार नंबर धारक का ऑफलाइन सत्यापन करना चाहती है;

⁴ अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022 द्वारा प्रविष्ट।

⁵ अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022 द्वारा प्रविष्ट।

⁶ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-॥ (ई), दिनांक 31.1.2024 द्वारा उप-विनियम (ठ) प्रतिस्थापित किया गया।

⁷ अधिसूचना संख्या के-11020/240/2021/अधि./ भा.वि.प.प्रा.(2022 का संख्या 1), दिनांक 4.2.2022 द्वारा प्रविष्ट।

(णग) 'ऑफलाइन आधार डेटा' का तात्पर्य ऑफलाइन आधार सत्यापन से संबंधित डेटा से है, जिसमें भंडारण से पूर्व आधार नंबरों की मास्किंग की आवश्यकता सहित समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विशेषताएं शामिल हैं;

(त) "पीआईडी ब्लॉक" का अभिप्राय व्यक्तिगत पहचान डेटा घटक से है, जिसके अन्तर्गत अधिप्रमाणन के दौरान आधार नंबर धारक से संग्रहीत आवश्यक जनसांख्यिकीय तथा/अथवा बायोमेट्रिक और/या ओटीपी शामिल हैं;

(तक) 'पंजीकृत उपकरण' से तात्पर्य ऐसे बायोमेट्रिक उपकरणों से है जो प्राधिकरण में पंजीकृत हों।

(थ) "अनुरोधकर्ता संस्था" का अभिप्राय ऐसी एजेंसी या व्यक्ति से है, जो किसी व्यक्ति के आधार नंबर, और जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी को अधिप्रमाणन हेतु प्रस्तुत करता है;

(थक) 'सब-एयूए' का तात्पर्य ऐसी अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो विद्यमान एयूए के जरिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग कर रही है;

(थख) 'सब-केयूए' का तात्पर्य ऐसी अनुरोधकर्ता संस्था से है, जो विद्यमान केयूए के जरिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग कर रही है;

(थग) 'यूआईडी टोकन' का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा सृजित 72 अंकों के अक्षरांकीय क्रम से है, जो आधार नंबर से मैप किया हुआ और किसी अनुरोधकर्ता संस्था के लिए विशिष्ट होता है;

(थघ) 'वर्चुअल पहचानकर्ता' का तात्पर्य अन्तर-परिवर्तनीय 16 अंकीय यादृच्छिक संख्या से है, जो आधार नंबर धारक के आधार नंबर से मैप होती है, और

१(द) "हां/ना अधिप्रमाणन" का अभिप्राय एक प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधा से है—

- (i) जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था के जरिए आधार नंबर धारक की सहमति से सुरक्षित तरीके से प्रस्तुत पहचान सूचना और आधार नंबर का मिलान सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से किया जाता है, और प्राधिकरण अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी ब्यौरों सहित "हां" या "ना" से युक्त, परंतु पहचान सूचना से रहित, डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित उत्तर भेजता है; और
- (ii) जिसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुनः सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है इसकी स्थिति के संबंध में भेजा गया कोई भी पश्चात्कर्तो समुचित उत्तर सम्मिलित है :

परंतु यह कि अनुरोधकर्ता संस्था ने ऐसी स्थिति के अद्यतीकरण सहित अधिप्रमाणन करने के लिए प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया है।]

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है।

⁸अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) के द्वारा खंड (थ) में, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्दों के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

⁹ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 31.1.2024 के द्वारा उपविनियम (द) प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय - 2

आधार अधिप्रमाणन तंत्र

3. अधिप्रमाणन सुविधाओं के प्रकार.—प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी, नामत :-

- (i) **हां/ना अधिप्रमाणन सुविधा**, जिसका निष्पादन विनियम 4(2) में विनिर्दिष्ट किसी भी माध्यम से किया जा सकता है; तथा
- (ii) **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा**, जिसका निष्पादन केवल विनियम 4(2) में विनिर्दिष्ट ओटीपी तथा/अथवा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के जरिए ही किया जा सकता है।

3क. ऑफलाइन सत्यापन के प्रकार.—(1) प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रकार की ऑफलाइन सत्यापन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, नामत : :-

- (i) क्यूआर कोड सत्यापन,
- (ii) आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन,
- (iii) ई-आधार सत्यापन,
- (iv) ऑफलाइन कागज आधारित सत्यापन, और
- (v) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा लागू किसी भी अन्य प्रकार का ऑफलाइन सत्यापन।

उपर्युक्त ऑफलाइन सत्यापन किसी संस्था द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

(2) प्राधिकरण वेबसाइट, मोबाईल ऐप्लीकेशन या अन्य माध्यमों द्वारा क्यूआर कोड, ई-आधार या आधार कागज रहित ऑफलाइन ई-केवाईसी को डाउनलोड करने हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

4. अधिप्रमाणन के माध्यम.—(1) इन विनियमों के अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रेषित किसी अनुरोध को ही प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(2) अधिप्रमाणन को निम्नलिखित माध्यमों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है :

- (क) **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन** : आधार नंबर धारक से प्राप्त आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना और आधार नंबर का मिलान, सीआईडीआर में उपलब्ध आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना के साथ किया जाता है।
- (ख) **वन-टाइम पिन आधारित अधिप्रमाणन** : सीमित समय की वैधता वाले वन टाइम पिन (ओटीपी) को, प्राधिकरण में पंजीकृत अथवा अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा सृजित, आधार नंबर धारक के मोबाइल नंबर तथा/अथवा ई-मेल पते पर भेजा जाता है। अधिप्रमाणन के दौरान आधार नंबर धारक इस ओटीपी को अपने आधार नंबर के साथ उपलब्ध करायेगा, जिसका मिलान प्राधिकरण द्वारा सृजित ओटीपी से किया जाएगा।
- (ग) **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन** : आधार नंबर धारक द्वारा जमा किया गया आधार नंबर तथा बायोमेट्रिक सूचना का मिलान, सीआईडीआर में संचित आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक सूचना से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट आधारित अथवा पुतली आधारित अधिप्रमाणन अथवा अन्य बायोमेट्रिक

पद्धतियों पर आधारित हो सकती है, जो सीआईडीआर में संचित बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर होती है।

(घ) **बहु-कारक अधिप्रमाणन** : उपर्युक्त विधियों के दो अथवा दो से अधिक संयोजन का उपयोग अधिप्रमाणन के लिए किया जा सकता है।

(3) कोई अनुरोधकर्ता संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष सेवा अथवा व्यावसायिक कार्य के लिए उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट माध्यमों से, वृहत्तर सुरक्षा के लिए, बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित, अधिप्रमाणन का उपयुक्त माध्यम चुन सकती है।

4क. वर्चुअल पहचान संख्या (वीआईडी).—(1) प्राधिकरण अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ आधार नंबर से जुड़ी हुई एक वैकल्पिक पहचान संख्या (वीआईडी) उपलब्ध कराएगा।

(2) आधार नंबर धारक अपनी वीआईडी को यूआईडीएआई की वेबसाइट, एसएमएस, मोबाईल ऐप्लीकेशन, ई-आधार डाउनलोड और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य माध्यम से सृजित कर सकते हैं या उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

(3) ऑनलाइन अधिप्रमाणन या ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर धारक, आधार नंबर के स्थान पर वीआईडी का प्रयोग कर सकते हैं।

(4) कोई भी संस्था अपने सिस्टम में वर्चुअल आईडी को संचित नहीं करेगी।

5. आधार नंबर धारक के लिए सूचना.—(1) अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन के समय, क्रमशः अनुरोधकर्ता संस्था या ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) आधार नंबर धारक को या बालक के मामले में उसके पिता या माता अथवा संरक्षक, को निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करेंगी :-

(क) सूचना की प्रकृति, जिसे अधिप्रमाणन पर प्राधिकरण द्वारा अनुरोधकर्ता संस्था के साथ साझा किया जाएगा;

(ख) उपयोग जिसके लिए अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन के दौरान प्राप्त सूचना का उपयोग किया जा सकता है;

(ग) पहचान प्रस्तुत करने के विकल्प और व्यवहार्य माध्यम तथा निवासी द्वारा अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन के लिए इंकार करने या असमर्थ होने की सिधति में, किसी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) अनुरोधकर्ता संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ऊपर उप-विनियम (1) में संदर्भित सूचना स्थानीय भाषा में भी आधार नंबर धारक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) अनुरोधकर्ता संस्था या ओवीएसई यह सुनिश्चित करेगी कि निवासी द्वारा अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन करने से इंकार करने में असमर्थ होने पर निवासी को किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उपर्युक्त उप विनियम (1) (ग) के अंतर्गत अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा सुझाए गए व्यवहार्य वैकल्पिक माध्यम से निवासी अपनी पहचान सिद्ध करने में समर्थ हो।

6. आधार नंबर धारक की सहमति.—(1) विनियम 5 के तहत सूचना प्रदान करने के बाद, अनुरोधकर्ता संस्था या ऑफलाइन सत्यापन की मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) अधिप्रमाणन या सत्यापन के लिए आधार नंबर धारक या बालक के मामले में उसके पिता या माता अथवा संरक्षक की सहमति प्राप्त करेगी।

(2) अनुरोधकर्ता संस्था या ओवीएसई उपर्युक्त उप विनियम (1) में संदर्भित सहमति भौतिक रूप से अथवा विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्त करेगी और इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके अथवा प्रारूप में प्राप्त सहमति के लॉग अथवा अभिलेख रखेगी।

7. अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा बायोमेट्रिक सूचना ग्रहण करना.—(1) अनुरोधकर्ता संस्था, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और विनिर्देशों के अनुसार प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों के उपयोग द्वारा आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक सूचना को अभिग्रहण करेगी।

(1क) अधिप्रमाणन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी बायोमेट्रिक्स उपकरण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत पंजीकृत उपकरण होंगे।

(1ख) सभी बायोमेट्रिक्स उपकरण अनुरोधकर्ता संस्था के सर्वर पर पंजीकृत किए जाएंगे।

(2) अनुरोधकर्ता संस्था, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप बायोमेट्रिक डेटा को अभिग्रहण करते समय उसे आवश्यक रूप से कूटबद्ध एवं सुरक्षित करेगी।

(3) बायोमेट्रिक सूचना अभिग्रहण करने में इष्टतम परिणाम हेतु अनुरोधकर्ता संस्था इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपनाएगी।

8. अधिप्रमाणन में प्रयुक्त उपकरण, क्लाइंट एप्लीकेशन्स आदि.—(1) अधिप्रमाणन के लिए प्रयुक्त समस्त यन्त्र एवं उपकरण इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक रूप प्रमाणित किये जाएंगे।

(2) अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले क्लाइंट एप्लीकेशन्स अर्थात् सॉफ्टवेयर इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक एपीआई और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

9. ¹⁰[अधिप्रमाणन करने के लिए प्रक्रिया].—(1) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रदान आधार नम्बर अथवा कोई अन्य पहचानकर्ता, जो आधार नंबर और आधार नंबर धारक से आवश्यक जनसांख्यिकीय तथा/अथवा बायोमेट्रिक सूचना और/या ओटीपी से मैप है, के संग्रहण के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार क्लाइंट एप्लीकेशन तुरन्त किसी हस्तांतरण से पूर्व इन इनपुट पैरामीटरों को पीआईडी ब्लॉक में पैकेज और कूटबद्ध करेगा, और इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा उसे अनुरोधकर्ता संस्था के सर्वर के पास भेज देगा।

(2) विधिमान्यकरण के उपरान्त, अनुरोधकर्ता संस्था का सर्वर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के सर्वर के माध्यम से अधिप्रमाणन अनुरोध को सीआईडीआर को भेज देगा। अधिप्रमाणन

¹⁰ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 31.1.2024 के द्वारा संक्षिप्त शीर्षक के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

अनुरोध को अनुरोधकर्ता संस्था तथा/अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा, उनके पारस्परिक समझौते के अनुसार, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

¹¹[(3) अधिप्रमाणन अनुरोध के माध्यम के आधार पर, सीआईडीआर में उपलब्ध आधार नंबर की सूचना के विरुद्ध आगत प्राचलों (*इनपुट पैरामीटर्स*) से मिलान और सीआईडीआर द्वारा उसकी शुद्धता या शुद्धता में कमी के सत्यापन के पश्चात्, प्राधिकरण संबंधित तकनीकी ब्यौरों सहित डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित "हां" या "ना" उत्तर, या कूटकृत ई-केवाईसी डेटा सहित ई-केवाईसी उत्तर, जैसी भी स्थिति हो, भेजेगा।

(3क) जहां पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुनः सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है, के संबंध में अद्यतीकरण की स्थिति सहित अधिप्रमाणन करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया गया है, प्राधिकरण संबंधित तकनीकी ब्यौरों सहित डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित पश्चात्पूर्ती समुचित उत्तर भेजेगा।]

(4) अधिप्रमाणन की सभी विधियों में, आधार नंबर अनिवार्य है और इसे उपर्युक्त उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट इनपुट पैरामीटरों के साथ इस प्रकार जमा किया जाता है कि अधिप्रमाणन सदैव 1: 1 के मिलान के अनुसार रहे।

(5) अनुरोधकर्ता संस्था सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार अधिप्रमाणन उपकरण द्वारा अभिग्रहण करते समय पीआईडी ब्लॉक का एन्क्रिप्शन होता रहे।

10. आधार नंबर धारक को अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन की अधिसूचना/अभिस्वीकृति.—(1) किसी भी अधिप्रमाणन के संबंध में अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा आधार नंबर धारक को ई-मेल और/या एसएमएस और/या अन्य डिजिटल माध्यमों से और/या लिखित अभिस्वीकृति के आधार पर अधिप्रमाणन के प्रत्येक अनुरोध के सफल या असफल होने की अधिसूचना प्रदान की जाएगी। ऐसी अधिसूचना/अभिस्वीकृति में, जैसा मामला हो, अनुरोधकर्ता संस्था का नाम, तिथि, अधिप्रमाणन का समय, अधिप्रमाणन प्रत्युत्तर कोड, आधार नंबर के अंतिम 4 अंक और अधिप्रमाणन का उद्देश्य दिया जाएगा।

(2) किसी भी ऑफलाइन सत्यापन के लिए आधार नंबर धारक को ओवीएसवी द्वारा ई-मेल और/या एसएमएस और/या अन्य डिजिटल माध्यमों से और/या लिखित अभिस्वीकृति के आधार पर प्रत्येक ऑफलाइन सत्यापन अनुरोध के सफल या असफल होने की अधिसूचना प्रदान की जाएगी।

(3) अधिप्रमाणन के असफल हो जाने के मामलों में, अनुरोधकर्ता संस्था निवासी को स्पष्ट एवं सहज भाषा में अधिप्रमाणन के ¹²[असफल होने के कारणों, जैसे "आधार रद्द", "आधार निष्क्रिय", "आधार लॉक है", "आधार विलोपित", "आधार स्थगित" और "बायोमेट्रिक्स लॉक हैं"] की सूचना प्रदान करेगी।

(4) ¹³[उप-विनियम (3) में, अभिव्यक्ति—

- (i) आधार नंबर के संबंध में, "आधार रद्द" या "आधार विलोपित" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर का लोप कर दिया गया है;

¹¹ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-॥(ई), दिनांक 31.1.2024 के द्वारा उप-विनियम (3) के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

¹² अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-॥(ई), दिनांक 31.1.2024 के द्वारा "असफल होने के कारणों, जैसे स्थगित/रद्द आधार या बायोमेट्रिक/आधार लॉकिंग" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

¹³ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच-॥(ई), दिनांक 31.1.2024 के द्वारा उप-विनियम (3) के बाद उप-विनियम (4) अंतःस्थापित किया गया।

- (ii) आधार नंबर के संबंध में, "आधार निष्क्रिय" या "स्थगित आधार" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया गया है;
- (iii) आधार नंबर के संबंध में, "आधार लॉक है" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर को विनियम 11क में यथा-निर्दिष्ट अनुसार लॉक कर दिया गया है; और
- (iv) आधार नंबर के संबंध में, "बायोमेट्रिक्स लॉक हैं" का अभिप्राय होगा कि ऐसे आधार नंबर से संबंधित बायोमेट्रिक अभिलेख विनियम 11 में यथा-निर्दिष्ट अनुसार लॉक कर दिये गये हैं।]

11. बायोमेट्रिक लॉकिंग.—(1) प्राधिकरण आधार नंबर धारक को उसके बायोमेट्रिक को स्थायी तौर पर लॉक करने तथा आवश्यकतानुसार बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन हेतु अस्थायी तौर पर अनलॉक करने की सुविधा दे सकता है।

(2) ऐसे लॉक किए गए बायोमेट्रिक अभिलेख के समक्ष समस्त बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन एक उचित प्रत्युत्तर कोड सहित "नहीं" विकल्प के साथ असफल होंगे।

(3) आधार नंबर धारक को अधिप्रमाणन हेतु अपने बायोमेट्रिक को अस्थायी तौर पर अनलॉक करने की अनमति दी जाएगी और ऐसी अस्थायी अनलॉकिंग, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के पश्चात् अथवा अधिप्रमाणन संव्यवहार की पूर्णता तक, जो भी पहले हो, जारी नहीं रहेगी।

(4) प्राधिकरण आधार नंबर धारक के लिए किसी भी समय ऐसे स्थायी लॉकिंग को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने का प्रावधान करेगा।

11क. आधार लॉकिंग.—(1) प्राधिकरण आधार नंबर धारक को अपने आधार नंबर को लॉक करने तथा अधिप्रमाणन के लिए आवश्यक होने पर अनलॉक करने की सुविधा प्रदान करेगा।

(2) ऐसे लॉक किए गए आधार नंबर के समक्ष किए गए सभी अधिप्रमाणन अनुरोधों का उत्तर 'नहीं' होगा और साथ ही उपयुक्त प्रतिक्रिया कोड दिया जाएगा।

(3) आधार लॉक होने पर प्राधिकरण निवासी को वर्चुअल आईडी या अन्य माध्यमों से अधिप्रमाणन की अनुमति प्रदान करेगा।

अध्याय - 3

अनुरोधकर्ता संस्थाओं तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों की नियुक्ति

12. ¹⁴[अनुरोधकर्ता संस्था और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी] की नियुक्ति.—¹⁵[(1) किसी अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के लिए अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति चाहने वाली एजेंसी या अन्य व्यक्ति नियुक्ति के लिए

¹⁴ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) के द्वारा लघु शीर्षक में, "अनुरोधकर्ता संस्थाओं तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

¹⁵ विनियम 12 (1) को अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020/अधि.-II(अ), दिनांक 29.9.2023 (दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिस्थापन से पहले विनियम 12(1), इस प्रकार था:

"(1) प्राधिकरण द्वारा प्रावधानित अधिप्रमाणन सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुरोधकर्ता संस्था बनने की इच्छुक एजेंसियां, प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य हेतु समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करेंगी, बशर्त की प्रमाणीकरण सेवाओं की आवश्यकता जिन उद्देश्यों हेतु हो, वो अधिनियम की धारा 4 (4) (b) (i) अथवा 4 (4) (b) (ii) अथवा 4 (7) अथवा 7 के प्रावधानों के तहत अनुमत हों।"

प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी एजेंसी या व्यक्ति के द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाए :

परंतु यह कि ऐसी एजेंसी या व्यक्ति अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति होने पर, केवल ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन करेगी जैसे कि—

(क) उप-धारा (4) के तहत अनुज्ञात की गई है या वह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (7) में संदर्भित किसी भी विधि के अंतर्गत अपेक्षित है; या

(ख) अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है।]

(1क) अनुरोधकर्ता संस्था तथा एएसए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं सुरक्षा मानदंडों को पूरा करेंगी।

¹⁶[(2) किसी अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के लिए एएसए के रूप में नियुक्ति चाहने वाली संस्था नियुक्ति के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगी जैसा कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी संस्था के द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाए।

(2क) एएमए के रूप में नियुक्ति चाहने वाली संस्था अनुसूची क में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करेगी।]

(3) प्राधिकरण ऐसी आवेदक संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों, जैसी भी स्थिति हो, की गतिविधियों से सम्बद्ध मामलों के संबंध में आवेदक से अन्य सूचना अथवा स्पष्टीकरण का उल्लेख करने के लिए कह सकता है, जिसे आवेदन पर विचार करने और निपटान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विचारार्थ लिया जा सकता है।

(4) आवेदक, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर, प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप ऐसी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करेगा।

(5) आवेदन पर विचार करते समय, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना और उसकी पात्रता को प्राधिकरण दस्तावेजों, अवसरचना एवं तकनीकी सपोर्ट, जिन्हें आवेदक के पास होना आवश्यक है, के प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा सत्यापित कर सकता है।

(6) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन, दस्तावेजों तथा उसकी पात्रता के सत्यापन के पश्चात् ¹⁷[प्राधिकरण, यदि यह पाता है कि प्रबंधन का सामान्य चरित्र और आवेदक की वित्तीय स्थिति आम जनता की सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता के हित सुनिश्चित करने के लिए ठीक है, तो वह, —]

(क) अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के आवेदन, जो भी स्थिति हो, को अनुमोदित कर सकता है; तथा

¹⁶ विनियम 12 (1) को अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020/अधि.-II (अ), दिनांक 29.9.2023 (दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिस्थापन से पहले विनियम 12(1), इस प्रकार था:

“(2) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों के रूप में नियुक्ति चाहने वाली संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगी। केवल अनुसूची ‘क’ के मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं ही आवेदन करने की पात्र होंगी। प्राधिकरण आदेश द्वारा समय-समय पर अनुसूची ‘क’ में संशोधन कर सकता है, ताकि पात्रता मानदंड को संशोधित किया जा सके।”

¹⁷ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) के द्वारा "प्राधिकरण" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) संस्था अथवा एजेंसी के साथ प्राधिकरण की अधिप्रमाणन सुविधा के अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए, या एएसए द्वारा सेवाओं के प्रावधान हेतु, दायित्वों के गैर-निष्पादन की स्थिति में क्षतियों तथा हतोत्साहन सहित, निबंधन एवं शर्तों को शामिल करते हुए उपयुक्त अनुबंध कर सकती है।

(7) प्राधिकरण, समय-समय पर संस्थाओं द्वारा उनकी नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा देय शुल्क एवं प्रभार सहित आवेदन शुल्क, वार्षिक सदस्यता शुल्क तथा वैयक्तिक अधिप्रमाणन संव्यवहार के लिए शुल्क निर्धारित कर सकता है।

(8) प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को नियत करेगा जिन्हें आधार नंबर या मास्क किए गए आधार नंबर के संचयन की अनुमति होगी।

(9) प्राधिकरण समय-समय पर, विशेष अनुरोधकर्ता संस्थाओं को ई-केवाईसी प्रतिक्रिया के रूप में उपलब्ध डेटा फील्ड के सम्बंध में निर्णय लेगा।

(10) प्राधिकरण समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि अनुरोधकर्ता संस्था को अधिप्रमाणन हेतु आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या यूआईडी टोकन या एएनसीएस या किसी अन्य पहचान माध्यम की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

13. प्रक्रिया, जहां नियुक्ति के लिए आवेदन अनुमोदित नहीं है।—(1) यदि, अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी, जैसी स्थिति हो, की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करने पर प्राधिकरण आवेदन निरस्त कर सकता है।

(2) आवेदन निरस्त करने के प्राधिकरण के निर्णय की सूचना आवेदक को इस निर्णय के तीस दिनों के अंदर लिखित रूप में दे दी जाएगी, जिसमें उसके आवेदन को निरस्त करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(3) कोई भी आवेदक जो प्राधिकरण के निर्णय से असन्तुष्ट है, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के तीस दिनों के अंदर निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

(4) प्राधिकरण, आवेदक द्वारा भेजे गये आवेदन पर पुनर्विचार करेगा और इससे संबंधित निर्णय को यथाशीघ्र आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

14. अनुरोधकर्ता संस्थाओं की भूमिका तथा उत्तरदायित्व।—(1) अनुरोधकर्ता संस्था को निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा : -

(क) अधिप्रमाणन से संबंधित स्वयं के तंत्र, प्रक्रियाओं, अवसंरचना, तकनीक, सुरक्षा आदि सहित आवश्यक प्रचालनों का संस्थापन एवं अनुरक्षण करना;

(ख) अधिप्रमाणन अनुरोधों को भेजने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एएसए के माध्यम से सीआईडीआर के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अधिप्रमाणन अनुरोधों को भेजने के लिए प्रयुक्त अधिप्रमाणन उपकरणों तथा सीआईडीआर के मध्य नेटवर्क कनेक्टिविटी इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप है;

(गक) यह सुनिश्चित करना कि निवासी द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध के लिए उपलब्ध कराए गए आधार नंबर /वर्चुअल आईडी/एएनसीएस टोकन को उपकरण ऑपरेटर द्वारा अपने पास या उपकरण के अंदर या एयूए सर्वर में न रख लिया जाए।

(गख) यह सुनिश्चित करना कि वर्चुअल आईडी का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन के प्रावधान को उपलब्ध कराया जाए।

(घ) केवल उन्हीं यन्त्रों, उपकरण, अथवा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जो आवश्यक रूप से प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत या अनुमोदित अथवा प्रमाणित या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हैं और इस उद्देश्य हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(च) इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी एवं सूचित नियमों एवं शर्तों, मानकों, निर्देशों तथा विनिर्देशों के लिए अपने यंत्रों तथा उपकरणों के प्रचालन की आवधिक आधार पर निगरानी करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि अधिप्रमाणन कार्यों के निष्पादन, तथा आवश्यक तंत्रों, अवसंरचना एवं प्रक्रियाओं के अनुरक्षण के लिए उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के पास ऐसे कार्यों के निष्पादन की अपेक्षित योग्यता है;

(ज) एएसए, जिसके साथ उसका समझौता हुआ है, के विषय में प्राधिकरण को सूचित रखना;

(जक) किसी तृतीय पक्ष संस्था को सब-एयूए/सब-केयूए के रूप में नियुक्त करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना।

(झ) यह सुनिश्चित करना कि उसके प्रचालन तथा तंत्र प्राधिकरण के मानकों तथा विनिर्देशों के अनुरूप हैं, जिसे सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित निकाय द्वारा प्रमाणित सूचना पद्धति लेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा करवाई गयी है और अनुरोध किए जाने पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राधिकरण के साथ साझा करनी होगी;

(ट) निवासियों को अधिप्रमाणन सेवाओं के निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद संचलन क्रियाविधि तथा बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन क्रियाविधि कार्यान्वित करना;

(ठ) अधिप्रमाणन से सम्बद्ध धोखाधड़ी अथवा विवाद सम्बन्धी किसी जांच की स्थिति में वह प्राधिकरण, अथवा इसके द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किसी एजेंसी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत जांच एजेंसी का पूर्ण सहयोग करेगी और अपने परिसर, अभिलेख, कार्मिक तथा किसी अन्य संसाधन या सूचना तक उनकी पहुंच बनाने का प्रावधान करेगी। इसके साथ-साथ किसी भी आधार डेटा से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में जन सामान्य को सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकरण का सहयोग करेगी, ताकि आधार नंबर धारक यह तय कर सके कि कहीं वे किसी धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो गए हैं और वे निवारक कार्रवाई कर सकें।

(ड) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अपनी आधार अधिप्रमाणन प्रणाली को स्थानीय अधिप्रमाणन प्रणाली के साथ एकीकृत करने की इच्छा रखने की स्थिति में, ऐसे प्राधिकरण को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी मानकों तथा विनिर्देशों के अनुरूप निष्पादित करना होगा;

(ढ) वे प्राधिकरण को अपने नेटवर्क के भीतर आधार संबंधी सूचना अथवा तंत्र के आधार फ्रेमवर्क अथवा किसी अन्य समझौते से सम्बद्ध किसी सूचना अथवा तंत्र के किसी दुरुपयोग के विषय में सूचित करेगी;

यदि अनुरोधकर्ता संस्था धोखाधड़ी की शिकार है अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण से संबंधित धोखाधड़ी जांच प्रणाली के माध्यम से किसी धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त होती है, वे उस धोखाधड़ी से संबंधित समस्त जानकारी प्राधिकरण को साझा करेंगी। वे उस धोखाधड़ी से संबंधित समस्त जानकारी बिना अनावश्यक विलम्ब के प्राधिकरण को और प्रभावित आधार नंबर धारक को साझा करेंगी।

(ण) वे अधिप्रमाणन प्रचालनों तथा परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगी, भले ही अपने प्रचालनों को तीसरे पक्षों के साथ उप-अनुबन्धित किया हो। अनुरोधकर्ता संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगी कि ऐसे तीसरे पक्ष की संस्थाओं के अधिप्रमाणन से सम्बन्धित प्रचालन प्राधिकरण के मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप हैं और उनकी अनुमोदित स्वतन्त्र लेखापरीक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा करवाई गयी है;

(णक) ऐसे ग्राहकों के साथ, अपने ग्राहकों को अधिप्रमाणन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिप्रमाणन प्रभागों हेतु सहमत हो सकती है और फिलहाल प्राधिकरण का इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं होगा; किन्तु भविष्य में इस संबंध में प्राधिकरण को एक भिन्न क्रियाविधि निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित होगा;

(णख) भौतिक रूप से प्राप्त की गई आधार नंबर या आधार पत्रों की फोटो प्रतियों को अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संचित करने से पूर्व आधार नंबर के पहले 8 अंकों को छुपाते हुए मास्क किया जाएगा।

(त) वे प्रत्येक समय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अधिप्रमाणन सुविधाओं के उपयोग के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा जारी अनुबन्धित शर्तों एवं समस्त नियमों, विनियमों, नीतियों, नियमावलियों, प्रक्रियाओं, विनिर्देशों, मानकों तथा निर्देशों का पालन करेंगी।

(थ) प्राधिकरण से विशेष अनुमति प्राप्त करेंगी और प्राधिकरण के साथ उपयुक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी, यदि गैर -अधिप्रमाणन उद्देश्यों के लिए आधार नंबर का संचयन अपेक्षित है। आधार नंबर को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षित तरीके से संचित करना होगा।

(द) अधिप्रमाणन में प्रयोग किए जाने वाले डेटा की प्रकृति, दुरुपयोग के क्षेत्र और ऐसे दुरुपयोगों या धोखाधड़ी से बचाव के कदम उठाने के लिए आधार नंबर धारकों की जानकारी के लिए प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी व्यापक जागरूकता कार्यक्रम में प्राधिकरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

14क. ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्थाओं के दायित्व.—(1) ओवीएसई के निम्नलिखित दायित्व होंगे :-

(क) आधार अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों एवं संबंधित नीतियों, मैनुअल, प्रक्रियाओं, विनिर्देशों, मानक एवं प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ख) किसी भी व्यक्ति विशेष के आधार नंबर या बायोमेट्रिक सूचना को किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्र, उपयोग एवं संचित नहीं किया जाएगा तथा ऑफलाइन आधार डेटा को अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अन्यत्र किसी अन्य संस्था को साझा नहीं किया जाएगा।

(ग) आधार डेटा से संबंधित धोखाधड़ी या विवाद की जांच के मामलों में संस्था प्राधिकरण को या उनके द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किसी एजेन्सी को या किसी अन्य प्राधिकृत जांच एजेन्सी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और उन्हें अपने परिसर, रिकार्ड, कार्मिकों एवं अन्य किसी संगत संसाधन या सूचना तक पहुंच प्रदान करेगी। इसके साथ साथ आधार डेटा से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में जन सामान्य के लिए सूचना जारी

करने में प्राधिकरण की सहायता करेगी ताकि आधार नंबर धारक यह सुनिश्चित कर सके कि कहीं वह धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो गया है और साथ ही उपचारी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

(घ) किसी भी सूचना के दुरुपयोग या आधार फ्रेमवर्क से संबंधित प्रणाली या आधार संबंधित सूचना के दुरुपयोग का पता लगने पर प्राधिकरण को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के और हर हालत में 72 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। यदि ओवीएसई धोखाधड़ी से पीड़ित है या ऑफलाइन सत्यापन से संबंधित धोखाधड़ी विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से किसी धोखाधड़ी के तरीके की पहचान होती है तो वह धोखाधड़ी से संबंधित सभी आवश्यक सूचना को प्राधिकरण के साथ साझा करेगी और बिना किसी विलंब के आधार नंबर धारक को भी सूचित करेगी।

(च) ऑफलाइन सत्यापन प्रचालन और परिणामों के लिए उत्तरदायी होगी चाहे अपने प्रचालन के कुछ भाग को तृतीय पार्टी को उप-अनुबंधित कर दिया हो। इसके अलावा ओवीएसई यह भी सुनिश्चित करेगी कि पार्टी को दिए गए ऑफलाइन सत्यापन से संबंधित प्रचालनों में उक्त संस्थाएं प्राधिकरण के मानकों एवं विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(छ) ऑफलाइन सत्यापन में प्रयोग की जा रही डेटा की प्रकृति, दुरुपयोग की गुंजाइश और ऐसे दुरुपयोगों या धोखाधड़ी से बचाव के लिए कदम के संबंध में आधार नंबर धारकों को जागरूक करने के लिए प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों में प्राधिकरण को पूरा सहयोग देना।

15. हां/ना अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग.—(1) अनुरोधकर्ता संस्था, अपने निजी उपयोग अथवा अन्य एजेंसियों की ओर से किसी आधार नंबर धारक की पहचान के सत्यापन के लिए प्राधिकरण की हां/ना अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग कर सकती है।

(2) अनुरोधकर्ता संस्था, प्राधिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल या अन्य किसी तंत्र के माध्यम से किसी अन्य एजेंसी अथवा संस्था को, प्रत्येक ऐसी संस्था के लिए एक अलग से लाइसेंस कुंजी के सृजन तथा सहभाजिता करने के द्वारा कथित संस्था को हां/ना अधिप्रमाणन निष्पादन के लिए अनुमति दे सकती है। सन्देह के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइसेंस कुंजी की ऐसी सहभागिता की अनुमति केवल हां/ना अधिप्रमाणन के निष्पादन के लिए ही है और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन की स्थिति में निषिद्ध है।

(3) ऐसी एजेंसी अथवा संस्था :

(क) किसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के साथ लाइसेंस कुंजी साझा नहीं करेगी; तथा

(ख) आधार नंबर धारक की व्यक्तिगत सूचना, डेटा सुरक्षा एवं अनुरोधकर्ता संस्था के लिए प्रयोज्य अन्य प्रासंगिक उत्तरदायित्वों से सम्बद्ध समस्त दायित्वों का अनुपालन करेगी।

(3क) आधार अधिप्रमाणन के लिए एयूए/केयूए/सब-एयूए/सब-केयूए अपने क्लाउंट ऐप्लीकेशन का प्रयोग करेंगी, जिसे अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(4) यह सुनिश्चित करना अनुरोधकर्ता संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि कोई संस्था अथवा एजेंसी जिसके साथ उसने लाइसेंस कुंजी सहभाजित की है, प्राधिकरण के अधिनियम के प्रावधानों, विनियमों, प्रक्रियाओं, मानकों, दिशानिर्देशों, विनिर्देशों तथा प्रोटोकॉल के उपबंधों का अनुपालन करे, जो अनुरोधकर्ता संस्था पर लागू हैं।

(5) अनुरोधकर्ता संस्था, प्राधिकरण के विनियमों, प्रक्रियाओं, मानकों, दिशानिर्देशों तथा प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए उस संस्था या एजेंसी के साथ संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी होगी, जिसके साथ लाइसेंस कुंजी को साझा किया गया है।

16. ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग.— (1) केयूए अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए आधार नंबर धारक का ई-केवाईसी डेटा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग कर सकता है।

(2) सब-केयूए के साथ ई-केवाईसी डेटा साझा करने के लिए केयूए प्राधिकरण से विशेष अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी और आधार नंबर धारक की विशिष्ट सहमति के साथ ऐसे डेटा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कूटबद्ध रूप में साझा किए जाएंगे।

(3) जिस सब-केयूए के साथ केयूए ने आधार नंबर धारक के ई-केवाईसी डेटा साझा किए हैं वह इन्हें किसी अन्य संस्था एजेंसी के साथ आगे साझा नहीं करेगी।

(4) आधार नंबर धारक किसी भी समय केयूए/सब-केयूए को अपने ई-केवाईसी डेटा को संचित करने के लिए दी गई सहमति को वापस ले सकता है। सहमति वापस लेने के उपरान्त केयूए/सब-केयूए सत्यापन के आधार पर ई-केवाईसी डेटा को समाप्त कर देगा तथा इसकी पावती आधार नंबर धारक को उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) उप-विनियम (3) में उल्लिखित भावी सहभागिता के प्रतिबंध के अतिरिक्त, आधार नंबर धारक व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित अन्य समस्त दायित्व, अनुरोधकर्ता संस्थाओं के लिए लागू डेटा सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उत्तरदायित्व उन सब केयूए के लिए भी लागू होंगे, जिनके साथ विनियम 16 के अनुरूप ई-केवाईसी डेटा साझा किया जा चुका है।

(6) केयूए ऐसे सभी संव्यवहारों का प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए एक लेखापरीक्षणीय संलेख अनुरक्षित करेगा, जहां डेटा अन्य सब-केयूए के साथ साझा किया गया है।

16क. ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग.—(1) आधार नंबर धारक के ऑफलाइन आधार डेटा को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग ओवीएसई द्वारा केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाए जिन्हें सत्यापन के समय आधार नंबर धारक को निर्दिष्ट कर दिया गया हो।

(2) किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की ओर से कोई संस्था ऑफलाइन सत्यापन नहीं करेगी।

(3) ओवीएसई ऑफलाइन सत्यापन के समय आधार नंबर धारक से प्राप्त आधार डेटा को आधार नंबर धारक की सहमति से, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचयित करेगी।

(4) आधार नंबर धारक किसी भी समय ओवीएसई को अपने ऑफलाइन आधार डेटा को संचित करने के लिए दी गई सहमति को वापिस ले सकता है। सहमति वापिस लेने की स्थिति में ओवीएसई सत्यापित किए जा सकने वाले रूप में ऑफलाइन आधार डेटा को समाप्त कर देगी और इसकी पावती आधार नंबर धारक को उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) चूक या अतिक्रमण या विधि में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से, जो प्राधिकरण को संगत लगता है तो वह ओवीएसई को ऑफलाइन सत्यापन सेवाओं के उपयोग को समाप्त करने के निर्देश दे सकती है।

18[16ख. आधार नंबर के स्वैच्छिक उपयोग का ढंग.—(1) आधार नंबर धारक, अधिनियम कि धारा 4 कि उप-धारा (3) के अनुसार, आधार पत्र (या उसकी प्रति) अथवा मुद्रित ई-आधार या आधार पीवीसी सहित भौतिक रूप में आधार नंबर का स्वेच्छा से ऑफलाइन सत्यापन के लिए अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकता है तथा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आधार सुरक्षित क्यूआर कोड द्वारा आधार पत्र या मुद्रित ई-आधार अथवा आधार पीवीसी कार्ड पर मुद्रित विवरण को सत्यापित करेगी।

(2) आधार नंबर धारक, अधिनियम कि धारा 4 कि उप-धारा (3) के अनुसार, ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु ई-आधार या आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी (एक्सएमएल) अथवा एमआधार सहित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वेच्छा से उपयोग कर सकता है तथा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) डिजिटल रूप से हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी।

(3) आधार नंबर धारक, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसार, अधिकृत अनुरोधकर्ता संस्था के माध्यम से हाँ/नहीं या ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किसी वैध प्रयोजन हेतु प्रमाणीकरण के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का उपयोग कर सकता है।

16ग. आधार नंबर धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर को स्वीकार करने की शर्तें.—(1) कोई भी ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था, आधार नंबर को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में (प्रमाणीकरण के बिना), किसी वैध उद्देश्य के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में, आधार पत्र पर आधार सुरक्षित क्यूआर कोड या ई-आधार अथवा एमआधार या आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी (एक्सएमएल), जैसा भी मामला हो, में प्रदान किए गए प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर के पूर्व सत्यापन बिना स्वीकार नहीं करेगी।

(2) कोई भी अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर को, आधार नंबर धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणीकरण के माध्यम से तब तक स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि यह एक वैध उद्देश्य के लिए न हो, जो अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुरूप हो और आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति के साथ तथा इन आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 में यथा उपबंधित ढंग में हो।]

17. अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा पहचान सूचना के उपयोग से सम्बंधित दायित्व.—(1) अनुरोधकर्ता संस्था सुनिश्चित करेगी कि:

(क) आधार नंबर धारक से संगृहीत कोर बायोमेट्रिक सूचना को किसी भी उद्देश्य के लिए संचित, साझा अथवा प्रकाशित नहीं किया गया है, और उसके पास कोर बायोमेट्रिक मुख्य बायोमेट्रिक सूचना की कोई प्रति शेष नहीं है;

(ख) संगृहीत कोर बायोमेट्रिक सूचना को कूटबद्ध पीआईडी ब्लॉक के सृजन के बिना किसी नेटवर्क पर संप्रेषित नहीं किया गया है, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्टियों तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप संप्रेषित किया जा सकता है;

(ग) कूटबद्ध पीआईडी ब्लॉक संचित नहीं किया गया है, जब तक कि यह बफरकृत अधिप्रमाणन के लिए है, जहां इसे अल्प समयावधि के लिए अधिप्रमाणन उपकरण पर अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है, और संप्रेषण के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया है;

(घ) अधिप्रमाणन के दौरान, प्राप्त पहचान सूचना केवल अधिप्रमाणन के समय आधार नंबर धारक के लिए विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गयी है, और जिस आधार नंबर धारक से यह सूचना सम्बंधित है, उसकी पूर्व सहमति लिए बिना आगे प्रकट नहीं की जाएगी;

(च) अधिप्रमाणन के दौरान संगृहीत आधार नंबर धारक की पहचान सूचना तथा अधिप्रमाणन प्रक्रिया के दौरान सृजित कोई अन्य सूचना को ऐक्सेस, उपयोग एवं प्रकटन के सम्बंध में सुरक्षित रखा गया है जिसकी अधिनियम तथा इसके विनियम के अधीन अनुमति नहीं है।

(छ) अधिप्रमाणन अनुरोध के डिजिटल रूप में हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त प्राइवेट कुंजी तथा लाइसेंस कुंजी को सुरक्षित रखा गया है और ऐक्सेस नियन्त्रित है; तथा

(ज) अपनी प्रणालियों में आधार-आधारित पहचान सूचना से सम्बंधित डेटा संचयन तथा डेटा संरक्षण के सम्बन्ध में समस्त प्रासंगिक कानून एवं विनियम, जो उनके एजेंट (यदि लागू हो) के तथा अधिप्रमाणन उपकरण के विषय में हैं, अनुपालन किया गया है।

18. अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा लॉग का रखरखाव.—(1) अनुरोधकर्ता संस्था को अपने द्वारा अधिप्रमाणित किए गए कार्य के संबंध में नीचे सूचीबद्ध विवरण सहित कार्य लॉग का रखरखाव करना होगा:-

(क) आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, एएनसीएस टोकन या यूआईडी टोकन के अतिरिक्त अधिप्रमाणन अनुरोध के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर प्रस्तुत करना।

(ख) मामले के अनुसार पूर्ण आधार नंबर या मास्क आधार सहित अधिप्रमाणन प्रक्रिया के रूप में प्राप्त विनिर्दिष्ट पैरामीटर।

(ग) अधिप्रमाणन के समय आधार नंबर धारक या बालक के मामले में उसके माता या पिता अथवा अभिभावक को किया गया सूचना प्रकटीकरण अभिलेख का उद्देश्य।

(ड.) अधिप्रमाणन के लिए आधार नंबर धारक या बालक के मामले में माता-पिता अथवा अभिभावक की सहमति का अभिलेख, परन्तु, किसी भी स्थिति में पीआईडी सूचना को अपने पास नहीं रखेगा।

(2) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अधिप्रमाणन कार्य के लॉग का रखरखाव 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा इस दौरान आधार नंबर धारक को इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे लॉग को एक्सेस करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(3) उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, लॉग को 5 वर्ष की अवधि अथवा विधि अनुसार अथवा संस्था का संचालन करने वाले विनियमों के अनुसार अपेक्षित वर्षों के लिए, इनमें से जो भी बाद में हो, पुरालेख के तौर पर रखा जाएगा सिवाय ऐसे अभिलेखों के जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी न्यायालय के आदेश जो न्यूनतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या किसी बकाया विवाद के लंबित रहने तक सुरक्षित रखना अपेक्षित होगा।

(4) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संबंधित आधार नंबर धारक से प्राप्त अनुरोध पर अथवा शिकायत के निपटान तथा विवादों के समाधान के लिए अथवा न्यायालय के आदेश जो न्यूनतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो, के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अधिप्रमाणन लॉग को साझा नहीं किया जाएगा। इस उप विनियम में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिप्रमाणन लॉग का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(5) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा लॉग के संचयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 सहित, किंतु उन तक सीमित नहीं, सभी संबंधित विधियों, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

(6) इस विनियम में विनिर्दिष्ट अधिप्रमाणन लॉग से संबंधित दायित्व इन विनियमों के अनुसार संस्था की नियुक्ति निरस्त करने के बावजूद भी मान्य रहेंगे।

19. अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं आचार संहिता.—अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के क्रियाकलाप तथा दायित्व निम्नानुसार होंगे : -

- (क) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध हस्तांतरित करने के लिए केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के साथ प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सुरक्षित कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना;
- (ख) सीआईडीआर को प्रेषित करने से पूर्व अधिप्रमाणन डेटा पैकेट से संबंधित मूलभूत अनुपालन एवं पूर्णतः जांच से संबंधित अनुपालन करना;
- (ग) सीआईडीआर से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर अनुरोध करने वाली अनुरोधकर्ता संस्था को किए गए कार्य के परिणाम संप्रेषित करना;
- (घ) केवल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अनुरोधकर्ता संस्थाओं के साथ कार्य करना तथा इसका निष्पादन कर रही अनुरोधकर्ता संस्थाओं की सूची की जानकारी प्राधिकरण को देना;
- (च) अनुरोधकर्ता संस्था के साथ किए गए अनुबंधों की प्रत्येक संबंधित जानकारी प्राधिकरण को सूचित करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि अधिप्रमाणन कार्य तथा आवश्यक तंत्र, अवसंरचना, प्रक्रियाओं इत्यादि के रखरखाव के लिए नियुक्त व्यक्ति को अपेक्षित योग्यता प्राप्त हैं;
- (ज) प्रचालनों की लेखापरीक्षा किसी मान्यताप्राप्त निकाय द्वारा प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाए तथा इस संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, मानकों एवं विनिर्देशनों के अनुपालन की प्रमाणित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना;
- (झ) यह सुनिश्चित करना की तंत्र, प्रक्रियाएं, उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं बायोमेट्रिक अवसंरचना, सुरक्षा तथा अन्य संबंधित घटकों सहित सभी अवसंरचनाएं और प्रचालन इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों एवं विनिर्देशनों के अनुरूप हैं;
- (ट) नेटवर्क तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों, विनिर्देशनों आदि का हमेशा अनुपालन करना;
- (ठ) सभी संबंधित कानून तथा विनियमों, विशेषकर डाटा सुरक्षा तथा डेटा प्रबंधन का अनुपालन करना;
- (ड) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों द्वारा किसी अनुरोधकर्ता संस्था को अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की गई अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया का भाग नहीं होगी;

- (ढ) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के द्वारा उप-अनुबंध के अंतर्गत अपने प्रचालन का कुछ भाग अन्य संस्थाओं को दिए जाने के मामले में भी, अधिप्रमाणन से संबंधित सभी प्रचालनों के लिए प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायित्व अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी का होगा;
- (ण) अधिप्रमाणन से सम्बद्ध धोखेबाजी अथवा विवाद से संबंधित मामले की जांच के लिए अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा प्राधिकरण (अथवा उसकी एजेंसी) तथा/अथवा अन्य प्राधिकृत जांच एजेंसी को अपने परिसर, अभिलेख, सिस्टम, कर्मियों, अवसंरचना, अन्य किसी संबंधित संसाधन अथवा सूचना तथा अन्य अधिप्रमाणन प्रचालनों से संबंधित अन्य संबंधित पहलू तक एक्सेस उपलब्ध कराने सहित पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा;
- (त) किसी अनुरोधकर्ता संस्था को अधिप्रमाणन प्रभारों पर सेवाएं प्रदान करने की सहमति दी जा सकेगी तथा, ऐसी अनुरोधकर्ता संस्था पर, प्राधिकरण का इस मामले में सामयिक तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तथापि, ऐसे मामले में प्राधिकरण के पास भविष्य में किसी भिन्न व्यवस्था के निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित होगा;
- (थ) प्राधिकरण द्वारा जारी प्रत्येक संविदागत शर्तों तथा सभी नियमों, विनियमों, नीतियों, मैनुअलों, प्रक्रियाओं, विशिष्टताओं, मानकों तथा निदेशों का सदैव पूर्णतः पालन किया जाएगा।

20. अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों द्वारा लॉग का रखरखाव.—(1) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी अपने द्वारा निष्पादित अधिप्रमाणन कार्यों के लॉग का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित संव्यवहार का ब्योरा शामिल होगा, नामतः :—

- (क) अनुरोधकर्ता संस्था की पहचान;
- (ख) प्रस्तुत अधिप्रमाणन अनुरोध के मानदंड; तथा
- (ग) अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त मानदंड:

बशर्ते कि जहां लागू होगा, वहां आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन, एएनसीएस टोकन, पीआईडी सूचना, उपकरण पहचान संबंधी डेटा और ई-केवाईसी प्रतिक्रिया डेटा का प्रतिधारण नहीं किया जाएगा।

(2) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा अधिप्रमाणन कार्य के लॉग का रखरखाव 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा इस दौरान प्राधिकरण तथा/अथवा अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा शिकायत निवारण, विवाद निपटान तथा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभिलेख के प्रयोग की मांग की जा सकेगी। इस उप विनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अन्यत्र किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिप्रमाणन अभिलेख का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(3) उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, लॉग को 5 वर्ष की अवधि अथवा विधि अनुसार अथवा संस्था का संचलन करने वाले विनियमों के अनुसार अपेक्षित वर्षों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा तथा 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरान्त, इनमें से जो भी बाद में हो, पुरालेख के तौर पर रखा जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किसी न्यायालय जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निम्न नहीं होगा अथवा किसी बकाया विवाद के लिए अपेक्षित लॉग के अलावा अन्य अभिलेखों को हटा लिया जाएगा।

(4) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा लॉग के संचयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सहित सभी संबंधित विधियों का पालन किया जाएगा।

(5) इस विनियम में विनिर्दिष्ट अधिप्रमाणन लॉग से संबंधित दायित्व इन विनियमों के अनुसार नियुक्ति निरस्त होने के बावजूद भी मान्य रहेंगे।

20क. ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था द्वारा लॉग का वैकल्पिक अनुरक्षण.—(1) ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था निवासी की सहमति से अपने द्वारा संसाधित सत्यापन संव्यवहारों, यदि ओवीएसई आवश्यक समझे, के ऐसे लॉग का रखरखाव कर सकती है, जिनमें निम्नलिखित संव्यवहार का विवरण अंतर्निहित हो, नामतः :—

- क. निवासी द्वारा साझा किया गया ऑफलाइन आधार डेटा की उपयुक्त रूप से सुरक्षा करना;
- ख. निवासी द्वारा सत्यापन के द्वारा साझा किए गए मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, फोटो आदि सहित कोई अन्य डाटा;
- ग. ओवीएसई और निवासी के बीच स्थानीय सत्यापन संबंधी कार्रवाई का लॉग;
- घ. आधार नंबर धारक को भेजे गए ऑफलाइन सत्यापन से संबंधित अधिसूचना का ब्योरा।

किन्तु किसी भी स्थिति में आधार नंबर धारक के आधार नंबर और वर्चुअल आईडी को संचित नहीं किया जाएगा।

(2) ओवीएसई संबंधित आधार नंबर धारक के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ लॉग को साझा नहीं करेगी। शिकायत निवारण या विवाद सुलझाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। उप विनियम वर्णित उद्देश्य के अतिरिक्त सत्यापन लॉग का उपयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

21. अनुरोधकर्ता संस्थाओं, अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सियों और ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्थाओं की लेखापरीक्षा.—(1) यह सुनिश्चित करना कि संस्थाएं प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही हैं, प्राधिकरण सब-एयूए तथा सब-केयूए, अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सियों तथा ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्थाओं सहित अनुरोधकर्ता संस्थाओं का प्रचालन, अवसंरचना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा स्वयं करेगी या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा एजेन्सी के माध्यम से करायेगी।

(2) प्राधिकरण स्वयं अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा के माध्यम से उप-विनियम (1) में सदर्भित संस्थाओं के प्रचालनों तथा प्रणाली की लेखापरीक्षा कर सकता है। ऐसी लेखापरीक्षा की बारम्बारता, समय एवं प्रक्रिया समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) लेखापरीक्षा की जाने वाली संस्था द्वारा प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा/अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एजेन्सी को लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा/या नियुक्त एजेन्सी को अपनी प्रक्रिया, अभिलेखों तथा प्राधिकरण से प्राप्त सेवाओं से संबंधित सूचना के लिए पूर्ण एक्सेस प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा की लागत का वहन संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की शिनाख्त किए जाने पर प्राधिकरण संबंधित संस्था से आवश्यक स्पष्टीकरण तथा/अथवा इसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा तथा ऐसी संस्था से ऐसी त्रुटि के निवारण अथवा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(5) खंड (4) की किसी बात के होते हुए भी और अधिनियम के अन्तर्गत उठाए गए किसी कदम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण लेखापरीक्षा के आधार पर पाई गई कमियों पर विनियम 25(1क) के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

22. डाटा सुरक्षा.—(1) अनुरोधकर्ता संस्था तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी/ओवीएसई द्वारा आधार अधिप्रमाणन अनुरोध कार्यो एवं क्रमशः सीआईडीआर/ऑफलाइन सत्यापन की रूटिंग के लिए डेटा केंद्र के अन्दर स्थित या भारत में स्थित क्लाउड स्टोरेज केन्द्रों में अपने सर्वर का उपयोग किया जाएगा।

(1क) भारत की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर स्थित संस्थाओं से अधिप्रमाणन अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत से बाहर के अधिप्रमाणन अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण से विशेष अनुमति प्राप्त करेगी।

(2) अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी प्राधिकरण के डाटा केंद्र के साथ इस उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया तथा सुरक्षा कार्यविधियों के अनुसार दोहरी रेडन्डेंट, सुरक्षित लीड लाइनें अथवा एमपीएलएस कनेक्टिविटी की स्थापना करेगी।

(3) अनुरोधकर्ता संस्था अधिप्रमाणन सेवा एक्सेस के लिए केवल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिप्रमाणन की सुविधा का उपयोग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए एएसए के सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा।

(4) ¹⁹[प्रत्येक अनुरोधकर्ता संस्था, अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी और ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था] प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सभी विनियमों, सूचना, सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, विनिर्देशों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

23. अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी द्वारा अधिप्रमाणन सुविधा की पहुंच को छोड़ना.—

(1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अधिप्रमाणन सुविधा के लिए प्रदान की गई पहुंच को छोड़ने की इच्छुक, इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त की गई है, ²⁰[अनुरोधकर्ता संस्था] अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी ऐसे सरेंडर के लिए अपना आवेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकती हैं।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत सरेंडर के लिए प्राप्त अनुरोध का निपटान करते समय प्राधिकरण द्वारा अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सी से आपेक्षा की जाती है, कि वह निम्नलिखित सहित सेवाओं को निर्वाध रूप से रोकने या समाप्त करने के लिए किसी भी आवश्यक मामले में प्राधिकरण को संतुष्ट करेगा :-

(क) अधिप्रमाणन अभिलेख के रखरखाव तथा परिरक्षण के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा की गई व्यवस्था तथा इन विनियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार इस उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज;

(ख) अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संबंधित आधार नंबर धारक से अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध कराने हेतु अधिप्रमाणन अभिलेख के रखरखाव की व्यवस्था;

(ग) शिकायतों के निपटान, यदि कोई हो, का अभिलेख;

(घ) प्राधिकरण के साथ किया गया लेखा निपटान, यदि कोई हो;

¹⁹ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) के द्वारा "अनुरोधकर्ता संस्थाएं, अधिप्रमाणन सेवा एजेन्सियाँ तथा ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाएं" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

²⁰ अधिसूचना संख्या एचक्यू-13079/10/2024-एयूटीएच-II(ई), दिनांक 3.12.2024 (दिनांक 4.12.2024 से प्रभावी) के द्वारा खंड (थ) में, "अनुरोधकर्ता संस्था" शब्दों के लिए, प्रतिस्थापित किया गया।

(च) अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा सरेंडर किए जाने के मामले में, अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी को अपनी पहुंच छोड़ने से पूर्व अपनी सम्बद्ध अनुरोधकर्ता संस्थाओं को अन्य अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों के प्रचालन में जाने के लिए पर्याप्त समय देना सुनिश्चित करेगी।

24. इन विनियमों के लागू होने से पूर्व नियुक्त की गई एजेंसियां।—(1) इन विनियमों के अंतर्गत, इन विनियमों के लागू होने से पूर्व नियुक्त की गई अधिप्रमाणन उपयोक्ता एजेंसी (एयूए) अथवा ई-केवाईसी उपयोक्ता एजेंसी (केयूए) को अनुरोधकर्ता संस्था तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) अथवा ई-केवाईसी सेवा एजेंसी (केएसए) को अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी माना जाएगा तथा ऐसी एजेंसियों एवं योजना आयोग, भारत सरकार के दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण के किसी अधिकारी के मध्य अधिनियम के अंतर्गत किए गए सभी अनुबंध प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम के उपबंधों, इनके विनियमों तथा अन्य विनियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, मानकों तथा विनिर्देशनों के साथ असंगत न होने की सीमा तक प्रभावी रहेंगे।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित होने के बावजूद भी उप-विनियम (1) में सदंर्भित किसी मान्यताप्राप्त अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी से अधिनियम के प्रावधानों, इन विनियमों, प्राधिकरण द्वारा निर्मित अन्य विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, मानकों तथा विनिर्देशनों का अनुपालन करने की अनिवार्यता होगी।

(3) उप-विनियम (1) में सदंर्भित किसी एजेंसी द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्ट अधिप्रमाणन सेवाओं से विलग होने की अपेक्षा की स्थिति में वह अपने प्रत्यय पत्र एवं अपने क्रियाकलापों की तुरंत समाप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है :

बशर्ते कि ऐसे मामले में सेवाएं समाप्त करने पर एजेंसी अथवा प्राधिकरण को किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन सेवाएं समाप्त किए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था से विनियम 23(3) उल्लिखित कार्य समापन अपेक्षाओं का पालन करने की अनिवार्यता होगी ।

25. चूक की स्थिति में देयताएं एवं कार्रवाई।—(1) इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किसी संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी यदि :-

(क) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किन्हीं प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, मानकों, विनिर्देशनों अथवा निदेशों का अनुपालन नहीं करती है;

(ख) अधिनियम तथा इन विनियमों के दायित्वों का उल्लंघन करती है;

(ग) आधार अधिप्रमाणन सुविधाओं का प्रयोग, अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी की नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन में की गई निर्दिष्टि के अलावा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए करती है;

(घ) इन विनियमों के उद्देश्यों से प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी सूचना को प्रस्तुत नहीं कर पाती है; अथवा

(च) प्राधिकरण द्वारा किसी निरीक्षण अथवा जांच अथवा पूछताछ अथवा लेखापरीक्षा के दौरान सहयोग नहीं करती है,

तो प्राधिकरण द्वारा, इस अधिनियम के अध्याधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के प्रति किसी प्रतिकूलता के बिना, अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों, उससे संबंधित नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी संस्था अथवा एजेंसी के क्रियाकलापों को समाप्त करने सहित दंडात्मक कार्रवाई के उपाय अथवा ऐसे अन्य उपाय किए जा सकेंगे, जिनके संबंध में ऐसी संस्था तथा प्राधिकरण के मध्य किए गए अनुबंध में विशिष्ट व्यवस्था की गई हो।

बशर्ते कि आधार अधिप्रमाणन से संबंधित सेवाओं तथा प्रचालनों की समाप्ति से पूर्व ऐसी संस्था अथवा एजेंसी को सनुर्वाइ का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(1क) जब कोई ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था :-

- क. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी प्रक्रिया, कार्यविधि, मानकों, विनिर्देशों या निदेशों के अनुपालन में असफल होती है, अधिनियम और इन विनियमों के अधीन दायित्वों का उल्लंघन मे पाया जाता है ।
- ख. विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा किन्हीं अन्य कार्यों के लिए यदि आधार ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का उपयोग किया जाता है।
- ग. इन विनियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना को उपलब्ध कराने में असफल रहने पर, या
- घ. प्राधिकरण द्वारा कराए गए किसी निरीक्षण या जांच या पूछताछ या लेखा परीक्षा में सहयोग देने में असफल रहने पर।

प्राधिकरण, अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना और किसी आपराधिक कार्रवाई सहित, जिसे प्राधिकरण सही समझे, अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था पर हतोत्साहन लगाने के लिए कदम उठा सकता है।

बशर्ते कि कार्रवाई करने से पूर्व संस्था या एजेन्सी को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) उप विनियम (1) में संदर्भित ऐसी कोई भी कार्रवाई किसी भी संस्था या सब-एयूए या सब-केयूए के विरुद्ध भी की जा सकती है।

(3) प्राधिकरण द्वारा सेवाएं समाप्त किए जाने पर अनुरोधकर्ता संस्था अथवा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी द्वारा आधार नाम तथा लोगो का प्रयोग, किसी भी स्वरूप तथा उद्देश्य, कारण चाहे कुछ भी हो, से नहीं किया जा सकेगा तथा उसे विनियम 23(2) में सूचीबद्ध घटकों सहित समापन के आवश्यक घटकों के प्रति प्राधिकरण को संतुष्ट करना होगा।

अध्याय-4

अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा और अधिप्रमाणन अभिलेख

26. अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा का संचयन एवं रखरखाव.—(1) प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सूचना से युक्त अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा का संचयन एवं रखरखाव किया जायेगा :-

(क) पीआईडी ब्लॉक सहित प्राप्त अधिप्रमाणन अनुरोध डेटा

(ख) प्रेषित अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया डेटा

(ग) आवश्यकतानुसार कोई अधिप्रमाणन सर्वर साईड संरूपण

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा किसी भी मामले में अधिप्रमाणन के उद्देश्य या किसी कार्य सम्पादन के लिए कोई मेटा डाटा (प्रोसेस मेटा डाटा को छोड़कर) का भंडारण नहीं किया जाएगा।

27. संचयन की अवधि.—(1) प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा का 6 माह की अवधि के लिए किया जाएगा। परिपत्र के रूप में सामूहिक और बिना नाम के अधिप्रमाणन कार्य संपादन डेटा को अनुसंधान कार्यों के लिए पुरालेख करने और उनके मूल्यांकन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।

(2) उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट 6 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा को हटाया जाएगा। किन्तु न्यूनतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के किसी न्यायालय के आदेश पर या लंबित विवाद से संबंधित होने पर अधिप्रमाणन संव्यवहार डेटा को बरकरार रखा जाएगा।

28. आधार नंबर धारक द्वारा एक्सेस.—(1) आधार नंबर धारक को अभिलेखों का पुरालेख किए जाने से पूर्व अनुरक्षण किए जाने की अवधि के दौरान, विहित शर्तों तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर प्राधिकरण के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करके अपने अधिप्रमाणन अभिलेख को एक्सेस करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) इन विनियमों में निर्दिष्ट के अनुसार, पुरालेख से पूर्व अनुरक्षण की अवधि के दौरान, आधार नंबर धारकों को अपने डिजिटली हस्ताक्षरित सत्यापित अभिलेख की प्राप्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल एप्लीकेशन अथवा अभिहित संपर्क केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध कार्रवाई जा सकती है।

(3) प्राधिकरण, बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी अधिप्रमाणन के उपरांत निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा प्रक्रियाओं के अनुसार आधार नंबर धारकों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी डाटा उपलब्ध करवा सकता है।

(4) सत्यापित अभिलेख तथा ई-केवाईसी डाटा को किसी व्यक्ति अथवा संस्था के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा :-

(क) आधार नंबर धारक जिनसे विनिर्दिष्ट अधिप्रमाणन प्रक्रिया के अनुसार अभिलेख या ई-केवाईसी डेटा संबंधित है, के अलावा किसी अन्य के साथ। आधार नंबर धारक द्वारा अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सत्यापित अभिलेख तथा ई-केवाईसी डाटा को अन्य संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकेगा, जो आगे किसी अन्य संस्था के साथ आधार नंबर धारक से प्रत्येक बार अनुमति प्राप्त किए बिना साझा नहीं करेंगे।

(ख) अधिनियम में किए गए उपबंधों के अन्यत्र।

अध्याय - 5

विविध

29. निरसन एवं व्यावृत्ति.—(1) भारत सरकार के योजना आयोग के दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 के माध्यम से स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व ऐसे प्राधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा अधिनियम के तहत द्वारा जारी सभी कार्यपद्धति, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक तथा नीतियां अथवा हस्ताक्षर किए सभी समझौता ज्ञापन, करार अथवा सविदाएं उस सीमा तक लागू रहेंगी, जब तक कि वे अधिनियम के उपबंधों तथा इनके तहत तैयार किए गए अधिनियम अथवा विनियम के तहत असंगत सिद्ध न हो जाएं।

(2) आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 के निरसन होते हुए भी, उक्त विनियम के तहत किए गए कार्यों या उक्त विनियमों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई को पूर्ण हुआ माना जाएगा या उन्हें इन विनियमों के तदन्तर प्रावधानों के अन्तर्गत लिया जाएगा।

30. स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देशों को जारी करने की शक्ति तथा कठिनाइयों का निराकरण.—इन विनियमों के अनुप्रयोग अथवा निर्वचन से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने अथवा इन विनियमों के कार्यान्वयन में किन्हीं कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए, प्राधिकरण के पास परिपत्र के रूप में स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देशों जारी करने की शक्ति होगी, जिनका प्रभाव विनियम के समान होगा।

31. नीतियां जारी करने, दस्तावेजों के प्रसंस्करण आदि की शक्तियां.—प्राधिकरण इन विनियमों से असंगत ऐसी नीतियों, आदेशों, प्रक्रियाओं, मानकों, विनिर्देशों या अन्य दस्तावेजों को जारी कर सकता है जिन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट करना अपेक्षित हो या इन विनियमों को प्रभावी बनाने के लिए उक्त प्रावधान आवश्यक हों।

21[32. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात करना.—(1) कोई भी कार्य या बात जो इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा की जानी है या की जा सकती है, वह प्राधिकरण के किसी ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेगी जिसे प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संबंधित शक्ति या कृत्य प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण यह अवधारित कर सकता है कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या बात उक्त उप-विनियम में यथा संदर्भित प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य संबंधित है या नहीं।]

22[***]

23[17अनुसूची - क]

अनुरोधकर्ता संस्थाओं की नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंड

[विनियम 12(2क) देखें]

1. एएसए के रूप में अपॉइंटमेंट की मांगकर्ता संस्थाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

क्रम संख्या	संगठन श्रेणी
श्रेणी 1	केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रम
श्रेणी 2	केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई प्राधिकरण
श्रेणी 3	प्राधिकरण की राय में राष्ट्रीय महत्व की कोई अन्य संस्था

21 अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020/अधि.-II (अ), दिनांक 29.9.2023 (दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी) द्वारा प्रविष्ट किया गया।

22 अधिसूचना संख्या एचक्यू-13011/2/2021/अधि.-II (2023 का संख्या 1), दिनांक 24.2.2023 (प्रभावी दिनांक 27.2.2023 से) के माध्यम से "अनुसूची क" को हटा दिया गया और अधिसूचना संख्या एच क्यू-13011/2/2021/अधि.-II (2023 का संख्या 1), दिनांक 24.2.2023 (प्रभावी दिनांक 27.2.2023) से "अनुसूची ख" को "अनुसूची क" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

23 "अनुसूची क" को अधिसूचना संख्या एच क्यू-13073/1/2020-अधि.-II (ई), दिनांक 29.9.2023 (प्रभावी दिनांक 3.10.2023) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

श्रेणी 4	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी
श्रेणी 5	एयूए या केयूए

2. एएसए के रूप में नियुक्ति के संबंध में संस्थाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय मापदंड इस प्रकार हैं :-

श्रेणी	वित्तीय अपेक्षाएं	तकनीकी अपेक्षाएं
श्रेणी 1, 2 और 3	—	—
श्रेणी 4	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 100 करोड़ रुपये	दूरसंचार सेवा प्रदाता (एक्सेस सेवाओं के लिए प्राधिकार प्राप्त यूनिफाइड लाइसेंस का धारक या यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस का धारक, जिसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है), जिसके पास भारत में न्यूनतम 100 मल्टीप्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएम) पॉइंटस् ऑफ प्रेजेस (पीओपी) हैं। या नेटवर्क सेवा प्रदाता या सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसके पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी है और जिसके पास भारत में न्यूनतम 100 एमपीएलएस पीओपी हैं।
श्रेणी 5	—	ऐसे अधिप्रमाणन संव्यवहार मानदंड जैसे कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, की पूर्ति करने वाला एयूए या केयूए।